

कायालय प्राचाय, शासकाय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बिलासपुर

नागोराव शेष भवन, जूना बिलासपुर, बिलासपुर 495001, छत्तीसगढ़

Phone No. - 07752-291790

Website - www.gac.bilaspur.gov.in

Email ID - govt.ayurvedcollegebilaspur@gmail.com

क्रमांक/स्टोर/स्वशासी/2020/ 780-81

बिलासपुर, दिनांक 12-06-2020

आदेश

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बिलासपुर की स्वशासी संस्था की कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 03 फरवरी 2020 में लिये गये निर्णयानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र अर्थात् दिनांक 01 जुलाई 2020 से स्नातक पाठ्यक्रम के वर्तमान में अध्ययनरत एवं प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र/छात्राओं से निम्नानुसार शुल्क लिये जायेंगे, यथा :-

क्रमांक	शुल्क का विवरण	शुल्क की दरें	
(1)	(2)	(3)	
1.	शिक्षण शुल्क	15,000/- प्रतिवर्ष (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग) 5000/- प्रतिवर्ष (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति)	
2.	छात्र निधि	यह सभी श्रेणियों के लिए समान होगा। प्रथम वर्ष हेतु छात्र निधि कुल राशि रूपये 5,000/- शेष चार वर्ष हेतु राशि रूपये 4,750/-	
(1)	प्रयोगशाला शुल्क		500/- प्रतिवर्ष
(2)	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क		1700/- प्रतिवर्ष
(3)	छात्र परिषद् शुल्क		500/- प्रतिवर्ष
(4)	खेलकूद शुल्क		1000/- प्रतिवर्ष
(5)	पुस्तकालय शुल्क		550/- प्रतिवर्ष
(6)	पहचान-पत्र शुल्क		100/- प्रतिवर्ष
(7)	वार्षिक पत्रिका शुल्क		200/- प्रतिवर्ष
(8)	शारीरिक कल्याण शुल्क		120/- प्रतिवर्ष
(9)	विश्वविद्यालय शुल्क		80/- प्रतिवर्ष
(10)	प्रवेश शुल्क		100/- केवल प्रथम वर्ष
(11)	महाविद्यालय (ब्लेजर) मोनो शुल्क	150/- केवल प्रथम वर्ष	
3.	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	3,000/- प्रवेश के समय एक बार देय होगा तथा यह शुल्क सभी श्रेणियों के लिए समान होगा।	
(1)	महाविद्यालय सुरक्षा निधि		1000/-
(2)	पुस्तकालय सुरक्षा निधि		1000/-
(3)	प्रयोगशाला/म्यूजियम सुरक्षा निधि	1000/-	
4.	शैक्षणिक भ्रमण शुल्क	3000/-	3,000/- प्रवेश के समय एक बार देय होगा तथा यह शुल्क सभी श्रेणियों के लिए समान होगा।

क्रमशः.....2..

नोट :-

1. सभी छात्र/छात्राओं को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के 01 जुलाई से 31 अगस्त के मध्य सभी शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर होने वाली कार्यवाही के लिये छात्र/छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व महाविद्यालय छोड़ता है तो महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक जो भी शिक्षण शुल्क एवं छात्र निधि का शुल्क देय हो, उसकी दुगुनी राशि देय होगी।
3. महाविद्यालय द्वारा चाहे जाने पर शुल्क की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. छात्र/छात्राओं द्वारा सफलतापूर्वक इन्टर्नशिप पूर्ण करने एवं सभी कक्षाओं/विभागों से अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यालय की स्वीकृति उपरान्त सुरक्षा निधि वापस की जा सकेगी।



प्राचार्य/मुख्य कार्यपाल अधिकारी,
स्वशासी समिति, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/स्टोर/स्वशासी/2020/

बिलासपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, एवं होम्योपैथी (आयुष), छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षक, स्थानीय महाविद्यालय चिकित्सालय की ओर सूचनार्थ।
3. स्थापना/लेखा/छात्र कक्ष, स्थानीय महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. महाविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने एवं सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।

प्राचार्य/मुख्य कार्यपाल अधिकारी,
स्वशासी समिति, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बिलासपुर

नागोराव शेष भवन, जूना बिलासपुर, बिलासपुर 495001, छत्तीसगढ़

Phone No. – 07752-291790

Website - www.gac.bilaspur.gov.in

Email ID - govt.ayurvedcollegebilaspur@gmail.com

क्रमांक/स्टोर/स्वशासी/2020/778-79

बिलासपुर, दिनांक 12-06-2020

आदेश

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बिलासपुर की स्वशासी संस्था की कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 03 फरवरी 2020 में लिये गये निर्णयानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र अर्थात् दिनांक 01 जुलाई 2020 से महाविद्यालय के छात्रावास में निवासरत एवं प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र/छात्राओं से निम्नानुसार छात्रावास शुल्क लिये जायेंगे, यथा :-

क्रमांक	शुल्क का विवरण	निर्धारित शुल्क	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छात्रावास निवास शुल्क	7,000/- प्रति शैक्षणिक सत्र	
2.	छात्रावास सुरक्षा निधि	5,000/- प्रवेश के समय एक बार	पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर नियमानुसार वापसी योग्य

नोट :- 1. छात्रावासी छात्र/छात्राओं को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के 01 जुलाई से 31 अगस्त के मध्य सभी शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर होने वाली कार्यवाही के लिये छात्र/छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होंगे।

2. महाविद्यालय द्वारा चाहे जाने पर शुल्क की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. एक शैक्षणिक सत्र का शुल्क जमा करने के उपरान्त वापस नहीं होगा। छात्रावास में किसी भी समय प्रवेश लेने पर पूरे शैक्षणिक सत्र का शुल्क जमा करना होगा।

प्राचार्य/मुख्य कार्यपाल अधिकारी,
स्वशासी समिति, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पु. क्रमांक/स्टोर/स्वशासी/2020/
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक

1. संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. छात्रावास अधीक्षक, बालक एवं कन्या छात्रावास, स्थानीय महाविद्यालय चिकित्सालय की ओर सूचनार्थ।
3. स्थापना/लेखा/छात्र कक्ष, स्थानीय महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. महाविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने एवं सूचना शटल में चस्पा करने हेतु।

प्राचार्य/मुख्य कार्यपाल अधिकारी,
स्वशासी समिति, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)